2025/140

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट बनाम **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री हरीश परमार
निवासी नांदिया
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 16 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.05.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 17.03.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को जारी कार्यालय पत्र क्रमांक/पंचायत/2023/314 दिनांक 13.12.2023 के तहत जारी आदेशिका पत्र पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 17.03.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को जारी कार्यालय पत्र क्रमांक/पंचायत/2023/314 दिनांक 13.12.2023 के तहत जारी आदेशिका पत्र पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2025/57 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को स्थानान्तरित कर दिया गया था। चूंकि लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner